भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4409

उत्तर देने की तारीख : 27.03.2025

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना

4409. श्री प्रदीप कुमार सिंह:
डॉ. निशिकान्त दुबे:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
डॉ. के. सुधाकर:
श्री रेमश अवस्थी:
श्री अनुराग शर्मा:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2024 के दौरान स्वीकृत ऋण गारंटी आवेदनों की संख्या कितनी है और इसमें लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2024 के दौरान ऋण गारंटियों के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गई है तथा उसमें से राज्यवार और विशेषकर गुजरात में आवंटित निधि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में एमएसएमई के लिए विशेष ऋण योजनाएं शुरू की हैं तथा गुजरात में उक्त योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संचालित एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष योजना या प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वित किया है, यदि हां, तो गुजरात के किन जिलों में इसका प्रभाव अधिक दिख रहा है;

(ङ) क्या महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष योजना के अंतर्गत बिना किसी प्राथमिक सुरक्षा के अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान की गई ऋण सीमा तथा गारंटी कवरेज कितनी है; और

(छ) भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2024 में ऋण गारंटी से लाभान्वित होने वाले एमएसएमई की संख्या कितनी है तथा कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख) : वित्त वर्ष 2023-24 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएस) के तहत स्वीकृत गारंटियों की कुल संख्या, राशि सहित नीचे दी गई है:

सीजीएस के अंतर्गत स्वीकृत गारंटियां		
अवधि	**गारंटियों की संख्या**	**गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)**
वित्त वर्ष 2023-24	17,24,073	2,02,807

सीजीएस एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें निधि/ऋण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुसार आवंटित नहीं किए जाते हैं।

(ग) और (घ) : एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा संचालित एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

i. **क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस):** सीजीएस के तहत, एमएसई को बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा या तीसरे पक्ष की गारंटी के सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। यह योजना वार्षिक गारंटी शुल्क में 10% की छूट और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए 85% की उच्च गारंटी कवरेज प्रदान करती है।

वर्ष 2000 में इस योजना की शुरुआत से लेकर, दिनांक 28.02.2025 तक गुजरात में अनुसूचित जाति/जनजाति के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए 1,125 करोड़ रुपए की राशि की 24,255 गारंटियां स्वीकृत की गई हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले में सबसे अधिक 326 करोड़ रुपए की राशि की 5,059 गारंटियां स्वीकृत की गई हैं।

ii. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब(एनएसएसएच):** एनएसएसएच योजना के विशेष ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना घटक के तहत, सभी विनिर्माण क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों के लिए सावधि ऋण के माध्यम से नए संयंत्र और मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए एससी-एसटी स्वामित्व वाले एमएसई को 25% सब्सिडी (25 लाख रुपए की सब्सिडी सीमा) प्रदान की जाती है।

अक्टूबर, 2016 में योजना की शुरुआत से लेकर, दिनांक 31.01.2025 तक, 2,503 एससी/एसटी लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिनमें से 550 लाभार्थी गुजरात से हैं। एससीएलसीएसएस लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या 352 गुजरात के सूरत जिले से है।

iii. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)** देश भर के उद्यमियों को गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयां स्थापित करने में सहायता करता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घरों पर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत, एससी/एसटी लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है।

चालू वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 25.03.2025 तक) में, गुजरात के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित 267 इकाइयों को 2,297.39 लाख रुपए की एमएम सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है और इसमें से, गुजरात के कच्छ जिले में 157.70 लाख रुपए की एमएम सब्सिडी के साथ एससी/एसटी लाभार्थियों की सबसे अधिक 29 पीएमईजीपी इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है।

खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी अन्य योजनाएं भी हैं, जिनमें एससी/एसटी लाभार्थियों के लिए विशेष प्रावधान हैं।

(ङ) : महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज में वृद्धि हुई है। विवरण नीचे दिया गया है:

सीजीएस के अंतर्गत महिला स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए गारंटी स्वीकृत		
अवधि	**गारंटियों की संख्या**	**गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)**
वित्त वर्ष 2021-22	1,39,244	8,021
वित्त वर्ष 2022-23	3,65,582	16,373
वित्त वर्ष 2023-24	4,25,865	32,223
वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)	5,20,327	40,243

(च) : अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए एक विशेष प्रावधान के तहत, सदस्य ऋण संस्थानों द्वारा आईएमई को दिए गए 20 लाख रुपए तक के ऐसे ऋण जिनमें प्राथमिक सुरक्षा अनिवार्य नहीं है, वे गारंटी कवरेज के लिए पात्र हैं। इस गारंटी कवरेज की सीमा 85% है।

(छ) : वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में स्वीकृत गारंटियों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सीजीएस के तहत स्वीकृत गारंटियां		
जिला	**गारंटियों की संख्या**	**गारंटी की राशि (करोड़ रुपए में)**
भिवानी	1,679	240
महेन्द्रगढ़	310	45
चरखी दादरी	1,242	115

*****